न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 78/2017

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री जंगसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. परविन्द्र कौर (पुत्री श्री जगसीर सिंह) पत्नी श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम मलकोके पोस्ट ऑफिस भाम्भूओ की ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजविन्द्र कौर (पुत्री श्री जगसीर सिंह) पत्नी श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी कीकरचक पोस्ट ऑफिस सिहागावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

दावा पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत एवं घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री रमेश कुमार अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.05.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 47 की कुल 3.100 हैक्टर कृषि भूमि में वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (जगसीर सिंह पुत्र जंगसिंह) के नाम 1.544 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2079 के संयुक्त खाता संख्या 86/43 के मुरब्बा नम्बर 53 की 3.163 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.063 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (जगसीर सिंह पुत्र जंग सिंह) के नाम दर्ज है। चक 8 एच बड़ा के खाता संख्या 51/54 व खाता संख्या 86/43 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादी शादी शुदा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एच बड़ा की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :–

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
गुरप्रीत सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 47 की कुल कृषि भूमि में वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (जगसीर सिंह पुत्र जंगसिंह) के नाम 1.544 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि
जगसीर सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2079 के संयुक्त खाता संख्या 86/43 के मुरब्बा नम्बर 53 की 3.163 हैक्टर में से 1.063 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एच बड़ा की कृषि भूमि में से खाता संख्या 51/44 की वादी को 1.012 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जगसीर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 06.05.2017 को वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 वादी की बहने होने के कारण पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. कि चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 47 की कुल कृषि भूमि में वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (जगसीर सिंह पुत्र जंगसिंह) के नाम 1.544 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी (गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर) की घोषित की जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

4. कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत संगतपुरा में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोंक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 09.05.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान संरपंच ग्राम पंचायत संगतपुरा द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि चक 8 एच. बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 47 की कुल कृषि भूमि में से जगसीरसिंह पुत्र जंगसिंह के नाम दर्ज 1.544 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी गुरप्रीतसिंह की घोषित की जावे।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र में पक्षकारान नें लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत

चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 51/54 के मुरब्बा नम्बर 47 की कुल कृषि भूमि में वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (जगसीर सिंह पुत्र जंगसिंह) के नाम 1.544 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी (गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर) को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 29.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत संगतपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर